राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प. 2 (40) / शिक्षा-4 / 2003

जयपुर, दिनांक— [illegible]

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय— आर.के.विज्ञान महाविद्यालय,सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुरके नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ— निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ,जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक
प.4( ) लेखा / निकाशि / 2002 / 1577 दिनांक 13.5.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंषा के आधार पर आर.के.विज्ञान महाविद्यालय,सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं उसमें स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त 1.भौतिक विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. प्राणीशास्त्र 4. वनस्पतिशास्त्र 5. गणित ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 से तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है :–

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी.अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन.ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एन्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष / फर्नीचर / प्रयोगशालायें / पुस्तकालय / खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था स्थाई निधि की राशि 2.00 लाख रुपये 5 वर्षीय सावधि जमा / 5 वर्ष तक जमा रखने होंगे तथा पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जावेगा ।
7. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
8. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
9. संस्था को एक वर्ष के अन्दर स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण करना होगा ।
10. उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय,
[signature]
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक , मा0 राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला-कलेक्टर ,जयपुर ।
6. सचिव, ए.आर.वैलफेयर रिलिफ सोसायटी,संजय नगर,भट्टा बस्ती, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

R K S(

[signature]
विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा

0

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/ ... दिनांक 26 मई, 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007-08 से पूर्व मे संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र0सं0	पत्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	144	एम.ओर.एस.श्रीकृष्ण प्रणामी कन्या महाविद्यालय, भादरा	भादरा, हनुमानगढ	बीकानेर, विश्विद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	125	श्री गुरुनानक खालसा महाविद्यालय	अनुपगढ, श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	13	अग्रसेन कन्या पी.जी.महाविद्यालय	खैरली, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	68	टैगोर महाविद्यालय	गुढा गौड जी झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	75	न्यू राजस्थान बालिका पी.जी. महाविद्यालय	अणगासर रोड, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	66	श्री रामप्रसाद बोहरा महाविद्यालय, बुहाना	बुहाना, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	149	भूपाल नोबल्स विधि महाविद्यालय	तहसील गिर्वा, उदयपुर	एम.एल.एस विश्वविद्यालय उदयपुर	विधि
8	22	क्वीन महाविद्यालय	बीकानेर-334003	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	249	राजधानी लॉ कॉलेज	डी-74, धीयामार्ग, बनीपार्क, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
10	140	पैसिफिक कॉलेज	गुलाब बाग रोड, उदयपुर	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
11	55	ब्राइट मून गर्ल्स कॉलेज	गोविन्दगढ, चौमू, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	99	सेठ रामजीदास मोदी महिला महाविद्यालय	दादावाडी, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
13	76	श्रीमती रामकुमारी पी.जी.महिला महाविद्यालय	मण्डी मुकुन्दगढ, तह. नवलगढ, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
14	111	भारतीय महिला महाविद्यालय	सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
15	8	गीता देवी डिग्री कॉलेज	खैरथल, तह. किशनगढ, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
16	262	सेन्ट विलफ्रेड पी.जी.कॉलेज	सेक्टर-10,मीरामार्ग न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
17	184	आर.के.विज्ञान (पी.जी.) महाविद्यालय	60,61,62, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
18	266	एस.एस.जैन सुबोध गर्ल्स कॉलेज	एयरपोर्ट रोड, सांगानेर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
19	107	भगवती कन्या महाविद्यालय	गणेश कालोनी, गंगापुर सिटी	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
   राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

रजिस्टर्ड ए०डी०

राजस्थान सरकार
कॉलेज शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेजशिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ4 (176) आकाशि/अनु0/03/3003 दिनांक- 16/6/09

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
आर0के0 विज्ञान पी0जी0 महाविद्यालय,
260 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर।

विषयः--नवीन भवन में स्थानान्तरण की अनुमति बाबत।
संदर्भ --संस्था का समसंख्यक पत्रांक दिनांक [illegible].06.09

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा महाविद्यालय को अपने नवीन भवन कालवाड थाने के पीछे, कालवाड, जयपुर में स्थानान्तरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संयुक्त निदेशक (अनु0),
कॉलेज शिक्षा जयपुर राज0

900

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4 (19) आकाशि / नि.सं. / 2003 / 37 । दिनांकः— 29.08.18

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर आर.के. विज्ञान पी.जी. कॉलेज, कालवाड़, जयपुर को सत्र 2018—19 से प्रबंध अंतरण की अनुमति प्रदान की जाती है। सत्र 2018—19 से महाविद्यालय का प्रबंध अतंरण ए.आर. वेलफयेर रिलीफ सोसायटी, 261, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर से श्री बालाजी एज्युकेशन समिति, बाईपास चौराहा, नानी, सीकर के पक्ष में किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर
दिनांकः

क्रमांकः एफ 4 (19) आकाशि / नि.सं. / 2003 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त—निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2003/138 दिनांक:- 14-06-2023

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र **2023-24 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषयों में स्थाई** अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
श्री बालाजी एज्यूकेशन समिति, बाई पास चौराहा, नानी, सीकर।	आर.के. विज्ञान (पी.जी) महाविद्यालय, कालवाड़ पुलिस स्टेशन के पीछे, कालवाड़, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर बी.एससी- गृहविज्ञान। स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए.- इतिहास, हिन्दी साहित्य। एम.एससी- गणित।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।
3. आवश्यकत्तानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाऐं गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चत करें।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2023-24 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर